

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा— आंतरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक— ०४/०८/२०२६

विषय:— राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमुई के निर्माण हेतु, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 5,00,00,00,000/- (रुपये पाँच अरब) की लागत से स्वीकृत योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु० 34,00,00,000/- (रुपये चौतीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमुई के निर्माण हेतु प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 5,00,00,00,000/- (रुपये पाँच अरब) मात्र की योजना की विभागीय स्वीकृति राज्यादेश संख्या-310(1), दिनांक-07.03.2019 के द्वारा दी गयी है।

2- Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27 Under Part-III अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक-No.44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Bihar, दिनांक-29.07.2026 द्वारा इस योजना हेतु रु० 34.00 करोड़ मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृत्यादेश संख्या-No.44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Part-III-SACE-6, दिनांक-29.07.2026 के माध्यम से राशि विमुक्त की गयी है। तदक्रम में वित्त विभाग के पत्रांक-910/वि०, दिनांक-30.07.2026 के द्वारा SASCI 26-27 Part-III हेतु जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु० 34.00 करोड़ मात्र के व्यय की स्वीकृति दिये जाने का निर्देश दिया गया है।

3- भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से अब तक प्राप्त आवंटनादेश एवं अब तक विभागीय स्तर पर स्वीकृत एवं निर्माण एजेन्सी (BMSICL) को आवंटित राशि की विवरणी निम्नवत् है:—

क्र०सं०	विभागीय राज्यादेश सं०	केन्द्रांश	राज्यांश
1	सं०-1051(1), दिनांक-09.12.2020	50,25,00,000	6,93,24,500
2	सं०-56(7), दिनांक-03.08.2021	9,30,00,000	6,20,00,000
3	सं०-334(7), दिनांक-28.11.2023	90,45,00,000	25,00,00,000
4	सं०-457(7), दिनांक-30.01.2024		40,87,00,000
5	सं०-223(7), दिनांक-18.10.2024		21,00,00,000
कुल राशि		1,50,00,00,000	1,00,00,24,500
कुल आवंटित राशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश)		2,50,00,24,500	

4- राज्य योजना मद से अबतक निगम को आवंटित की गयी राशि की विवरणी निम्नवत है:-

क्र०सं०	विभागीय आवंटनादेश सं०	आवंटित राशि
1	सं०- 200(7) दिनांक-28.08.2023	25,00,00,000
2	सं०- 655(7) दिनांक-15.03.2024	31,00,00,000
3	सं०- 587(7) दिनांक-28.03.2025	60,00,00,000
4	सं०- 270(7) दिनांक-02.09.2025	10,00,00,000
4	सं०- 127(7A) दिनांक-02.09.2025	13,00,00,000
कुल राशि		1,39,00,00,000

5- उक्त परिप्रेक्ष्य में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमुई के निर्माण हेतु, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 5,00,00,00,000/- (रुपये पाँच अरब) की लागत से स्वीकृत योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु० 34,00,00,000/- (रुपये चौतीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

6- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश सं०-310(1), दिनांक-07.03.2019 में अंकित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

7- इस राशि के व्यय का वहन मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0101-मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड-20-4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53-01-मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि/प्रथम अनूपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

8- राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9- वित्त विभागीय पत्र संख्या-632/वि०, दिनांक-04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या-10792/वि०, दिनांक-06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27" के लिए पूँजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए दूसरे दिन राशि को बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) पी० एल० खाता में हस्तान्तरित राशि को दूसरे दिन वित्त विभाग के पत्रांक-910/वि०, दिनांक-30.07.2026 के कंडिका 05 के अनुसार राशि के व्यय हेतु AXIS Bank खाते में हस्तान्तरित कर SASCI 26-27 Part-III के दिशा-निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10- वित्त विभागीय पत्रांक-910/वि०, दिनांक-30.07.2026 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी० एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

11- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06 एवं 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 2199/वि०, दिनांक-24.03.2017, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

12- इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

14- प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-सं०सं०-7/बजट-46-15/2026 के पृष्ठ 62/टि० में प्राप्त है।

15- यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 7/बजट-46-15/2026-291 (7A)/स्वा०, पटना, दिनांक- 07/08/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आईटी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई-मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव।